

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील क्रमांक 1989/2010

महिला रुमाबाई जाटव अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन प्रत्यर्थी

निर्णय

यह अपील दोषी अभियुक्त द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांकित 11.10.2006 के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि के विचारण न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित 120 बी के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को भा.द.स. की धारा 201 के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए भी दोषी ठहराया गया तथा पाँच वर्ष तक कठोर कारावास भुगतने की सजा दी गई ।

संक्षेप में कहे तो तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने शिवचरण से शादी की थी। शिवचरण चिरोंजी जाटव (वा.सा.1) का बड़ा भाई था। वे दोनों एक ही प्रांगण में किन्तु अलग-अलग झोपड़ियों में रहते थे। चिरोंजी जाटव के अनुसार, दिनांक 13.03.1995 को लगभग 3:00 बजे सुबह में, इस साक्षी ने अपीलार्थी को उसके पति शिवचरण के साथ घर से बाहर जाते हुए देखा। उसने उनसे पूछा कि वे कहा जा रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे मल त्यागने जा रहे हैं। साक्षी ने कहा कि फिर वह सोने चला गया जब अपीलार्थी रुमाबाई वापस घर लौटी तब वह जाग गया । उसे अकेला देखकर चिरोंजी जाटव (वा.सा.1) ने उससे पूछा कि शिवचरण कहाँ है। उसने जवाब दिया कि शिवचरण ने अभी शौच पूरा नहीं किया है और वह थोड़ी देर बाद आयेगा। तब साक्षी फिर से सोने चला गया। इस साक्षी के अनुसार, जब देर सुबह तक शिवचरण वापस नहीं लौटा तो उसने व उसके पिता ने अपीलार्थी से पूछताछ की , कि मृतक कहा गया है। उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इससे शिवचरण के परिवार के सदस्यों के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। इन साक्षीगण के अनुसार, अपीलार्थी का उसी गाँव के

रमेश के साथ अवैध संबंध था । परिवार के सदस्यों ने शिवचरण को ढूंढा किंतु उसे ढूंढ नहीं सकें। जब उन्होंने सच कहने के लिये अपीलार्थी से फिर से पूछताछ की तो उसने कथित रूप से बताया कि रमेश ने मृतक को मार दिया है और उसकी शव को कुएँ में फेक दिया है ।

वा.सा.1 के अनुसार, उन्होंने शिवचरण के शव को ढूंढा लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सकें। बाद में, हल्के (वा.सा.5) आया और सूचित किया कि मृतक का शव पटेल के कुएँ में पड़ा हुआ था, जो कथित घटना स्थल से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर था।

उसके बाद, (वा.सा.1) ने एक एफ.आई.आर. (प्रदर्श पी-1) दर्ज किया जो कि दिनांक 13.03.1995 को दोपहर के 01:30 बजे दर्ज की गई तथा एफ.आई.आर. में आरोप समान है। (वा.सा.1) ने न्यायालय में अपने कथन में समान तथ्य बताये थे। हालांकि उसने स्वीकृति की, कि वह और शिवचरण अलग-अलग हो गये थे और छः साल से अधिक समय से अलग-अलग रह रहे थे। प्रतिपरीक्षण में, उसने बताया कि मुख्य परीक्षण में कथन कि उसकी माँ तथा पत्नि जाग गई जब रूमाबाई घर छोड़ रही थी, गलत था । इसका मतलब यह कि चिरोंजी जाटव के अलावा किसी ने भी रूमा बाई का शिवचरण के साथ जाना नहीं देखा था।

प्रतिपरीक्षण में, साक्षी ने यह भी बताया कि घटना के एक दिन पहले, शिवचरण (मृतक), रूमाबाई (अभियुक्त) और रमेश (सह-अभियुक्त) उनके घर में एक साथ थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि रूमाबाई मजदूरी का काम किया करती थी। उसने यहां तक कहा कि वह और उसके परिवारजन रूमाबाई से नफरत करते थे।

इस साक्षी के कथन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि पुलिस ने गांव में कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस निरीक्षक ने एफ.आई.आर. लिखने के बाद दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षर लिये और एफ.आई.आर. में क्या लिखा था इस साक्षी ने नहीं पढ़ा । यह भी बताया कि एफ.आई.आर. उसे पढ़कर नहीं सुनाई गई। इस साक्षी को एक सुझाव दिया गया था कि उसने मृतक की सम्पत्ति को हड़पने के मद्देनजर रखते हुए रूमाबाई को झूठा फँसाया। हम इस मामले के इस पहलू में नहीं जा रहे हैं। मां (वा.सा.-2) सहित कुछ अन्य गवाह हैं जिनके कथन समान हैं लेकिन तथ्य यह है कि वा.सा.-1 के अलावा किसी ने भी रूमाबाई को शिवचरण के साथ घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। अन्य गवाह केवल रूमाबाई की कथित संस्वीकृति के संबंध में महत्वपूर्ण हैं जिसमें उसने बताया कि रमेश ने शिवचरण को जान से मार दिया, और शव को कुएं में फेक दिया था।

इस साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने रुमाबाई तथा रमेश दोनों को हत्या के अपराध के लिए भा.द.सं. की धारा-302 सहपठित-120बी, तथा साक्ष्य को नष्ट करने के लिए भा.द.सं. की धारा-201 के तहत दोषसिद्ध किया। दोनों अभियुक्तगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए रमेश को दोषमुक्त किया कि उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थे। लेकिन, मुख्य रूप से अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत और तथाकथित स्वीकारोक्ति पर भी निर्भर करते हुए अपीलार्थी की सजा को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने रमेश से कथित रूप से की गयी जब्ती पर भी अविश्वास किया किंतु रुमाबाई से की गयी जब्ती पर विश्वास किया। जब्तिया जिनमें एक कुल्हाड़ी थी जिस पर कथित रूप से खून के धब्बे थे, और जूते थे। ये जब्तिया कथित रूप से रुमाबाई के घर से की गई थी और पुलिस अधिकारी (वा.सा.-9) जिसने उसे गिरफ्तार किया उसके द्वारा साबित की गयी थी।

इस प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं हैं तथा प्रकरण पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में सुस्थापित विधि यह है कि सभी परिस्थितियां एक साथ इस प्रकार से जुड़ना चाहिए कि वे एक अखण्ड श्रृंखला बनाती हो जो केवल एक ही सटीक निष्कर्ष यानी की अभियुक्त के दोषी होने पर पहुंचती हो। यदि अपराध किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कारित किये जाने की संभावना हो तब इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

अब हम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे :

- I. हेतुक :- यह अभिकथित है कि रमेश के साथ तथाकथित अवैध सम्बन्ध हेतुक था। वा.सा.-1 का साक्ष्य इस परिस्थिति को नष्ट करता है। उसने स्वयं स्वीकार किया कि घटना के एक दिन पहले उसने दोनों अभियुक्तों तथा शिवचरण को शिवचरण के घर में एक साथ देखा था। इस साक्षी ने यह भी बताया कि उसने तथा उसके परिवारजन ने अभियुक्त के रमेश के साथ अवैध संबंध होने से विरोध किया था। इसलिए शिवचरण को इस तथ्य की निश्चित ही जानकारी रही होगी। यह समझ से परे है कि पति अपनी पत्नी तथा उसके अवैध प्रेमी के साथ उसी समय घर में बैठेगा। यह किसी भी मानव से स्वीकृत प्राकृतिक व्यवहार नहीं है। इसलिए हम इस परिस्थिति को साबित किये जाने को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।

II. अंतिम बार देखा गया :— जहां तक अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति का संबंध है, वा.सा.—1 के साक्ष्य से यह साबित होता है कि वा.सा.—1 ने अपीलार्थी को शिवचरण के साथ बाहर जाते हुए अंतिम बार देखा था तथा वह अकेली लौटी। यहां यह गौर करना महत्वपूर्ण होगा कि यह उन असामान्य मामलों में से एक है जिसमें अभियुक्त ने कटघरे में कदम रखा था। परीक्षण में, उसने यह नहीं बताया था कि वह अपने पति के साथ बाहर नहीं गयी। इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वह अंतिम बार मृतक शिवचरण के साथ वा.सा.—1 द्वारा देखी गयी। किंतु इस अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का क्या प्रभाव है। एक पति और पत्नी को एक दूसरे के साथ अंतिम बार देखा जाने में कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पति और पत्नी का शौच करने के लिए सुबह जल्दी साथ-साथ जाना असामान्य नहीं है। पत्नी वापस आयी और पति वापस नहीं आया। पति का शव अगले दिन लगभग दोपहर 1 बजे खोजा जाता है अथवा ऐसा। यह कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वह अकेली महिला थी, जिसने हत्या कारित की थी, विशेष रूप से जब हमने हत्या के लिए हेतुक स्वीकार नहीं किया है।

III. अपीलार्थी— अभियुक्त की निसानदेही पर घर से खून से सनी कुल्हाड़ी की जब्ती जिस पर तीसरी परिस्थिति के रूप में विश्वास किया जाता है। पुलिस कर्मचारी एक मात्र साक्षी है और कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं। इसके अलावा यह जब्ती स्पष्ट रूप से झूठी जब्ती है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वा.सा.—1 भी नहीं कहता है कि जब उसने रुमाबाई को देखा तो वह कुल्हाड़ी लिए हुए थी। यह कुल्हाड़ी अचानक धीमी हवा से घर के अन्दर कैसे आयी।

IV. न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति :— विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति पर विश्वास किया। न्यायिकेत्तर की प्रकृति यह थी कि सह—अभियुक्त रमेश ने मृतक को जान से मार दिया था। चूंकि रमेश दोषमुक्त हो गया है, इसलिए अवैध संबंध तथा न्यायिकेत्तर स्वीकारोक्ति के दोनो सिद्धांत असफल होते हैं।

इसलिए हमारे पास अंतिम बार देखे जाने की केवल एक परिस्थिति बचती है और हमें यह नहीं लगता है कि केवल इस एक परिस्थिति के आधार पर अभियुक्त को जिन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है में दोषी ठहराना उचित है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है। जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

.....न्यायमूर्ति

(दीपक गुप्ता)

.....न्यायमूर्ति

(अनिरुद्ध बोस)

नई दिल्ली;

सितम्बर 26, 2019

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।

